21/11/22 अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं। पूर्ति में कई अवसर दिए गए। लिक्षणा अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। लिक्षणा प्रकरण में दिनांक 30/05/2018 की अस्थायी निषेधाज्ञा को मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.13 11:13:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर